Social Justice Union Govt. Registered

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 04 मई 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 215

महत्वपूर्ण एवं खास

शादी से लौट रही पिकअप वैन पलटी, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 जख्मी

गुमला (आरएनएस)। बड़ी खबर झारखंड से है। यहां शादी से लौट रहे पिकअप वैन के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। बारात से लौट रहे इस पिकअप वैन में कुल 55 लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आ रही है। घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना गुमला जिले की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गुमला के जरडा गांव के पास 55 लोगों से भरा पिकअप वैन पलट गया। हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं जिनमें 11 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि वाहन में सवार लोग डुमरी के सारंगडीह में लडक़ी की शादी करा कर वापस कटारी लौट रहे थे कि तभी हादसा हो गया।

ईडी ने केरल में मन्नापुरम फाइनेंस पर छापा मारा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केरल के मन्नापुरम फाइनेंस में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना जनता से धन एकत्र करने के आरोप में छापेमारी कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर और बिजनेस के परिसरों में छापेमारी की जा रही है। मन्नापुरम फाइनेंस भारत में एक प्रसिद्ध एनबीएफसी है, जो सोना, माइक्रोफाइनेंस और आवास ऋण सहित कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी, जो तीन दशकों से अधिक समय से संचालन में है, की दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। ईडी ने अभी तक जारी छापेमारी पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

मोदी सरनेम पर टिप्पणी केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, रांची कोर्ट में होना पड़ेगा पेश

रांची (आरएनएस)। मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब रांची की अदालत में भी हाजिर होना पड़ेगा। रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है। यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की।

सीबीआई ने वाप्कोस के पूर्व सीएमडी और उनके बेटे को किया गिरफ्तार, 38 करोड़ रुपए जब्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वाप्कोस के पूर्व सीएमडी राजिंदर कुमार गुप्ता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी ने 38.38 करोड़ रुपये बरामद किए। अब तक की कुल बरामदगी में से 20 करोड़ रुपये नकद मंगलवार को जब्त किए गए। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद के 19 स्थानों पर आरोपी के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी ली गई थी। रिटायरमेंट के बाद गुप्ता ने दिल्ली में एक कंसल्टेंसी फर्म खोली। आरोपियों की कथित अचल संपत्तियों में फ्लैट, व्यावसायिक संपत्तियां और दिल्ली, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और चंडीगढ़ में एक फार्महाउस शामिल हैं।

केदारनाथ धाम : बर्फबारी से टूटे दर्जनों टेंट, धाम में ढाई फीट तक बर्फ; डीजीपी ने में संभाल मोर्चा

केदारनाथ (आरएनएस)। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण आज यात्रा बंद है। मौसम की भारी चेतावनी के बाद केदारनाथ धाम में कल रात से भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा पूर्ण रूप से रोक दी गई है। यात्रियों को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि वहां दर्जनों टेंट टूट गए हैं। धाम में ढाई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। कल केदारनाथ गये यात्रियों को आज सुरक्षित तरीके से दर्शन कराकर वापस लाया जा रहा है।

मौसम विभाग ने आज के लिए केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग की भविष्वाणी सच साबित हो रही है। धाम में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण आज केदारनाथ की यात्रा पूर्ण रूप से रोकी गई है। आज एक भी यात्री को केदारनाथ नहीं भेजा गया है। यात्रियों को रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, फाटा, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि आदि स्थानों पर सुरक्षित रोका गया है। धाम में बर्फबारी के कारण अत्यधिक ठंड बढ़ गई है। पैदल मार्ग पर भी खतरा बढ़ गया है। जो यात्री कल केदारनाथ भेजे गये थे। उन्हें दर्शन करवाकर नीचे वापस लाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिये पैदल मार्ग सहित धाम में सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है।

केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के कारण सबसे ज्यादा समस्या स्थानीय लोगों की ओर से लगाये गये टेंट स्वामियों को रही है। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से लगाये गये टेंट भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। केदारनाथ धाम में दो से ढाई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फ हटाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही मजदूर भी जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में इन टेंटों में तीर्थयात्रियों को ठहराया जाता है। मगर दर्जनों टेंटों के क्षतिग्रस्त होने से रहने की ज्यादा समस्या खड़ी हो गयी है। धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं।

साथ ही केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। धाम में पड़ी बर्फ को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहीं मौसम साफ होने के बाद ही यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा जाएगा। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी केदारनाथ धाम में डटे हुए हैं और यात्रियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षित यात्रा करवा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीपैड में भी बर्फ जमी है, जिसे जेसीबी मशीन से हटाने का काम किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार एवं एसपी रुद्रप्रयाग डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में उपस्थित श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया गया। मंदिर समिति पदाधिकारियों से वार्ता की। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। आज यात्रा को ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, फाटा, गौरीकुंड से पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहां पर मौसम प्रतिकूल है। कल के आये यात्रियों को दर्शन कराने के बाद वापस भेजा जा रहा है।

डीजीपी ने देशवासियों से अपील की है कि 4 मई की यात्रा के ²ष्टिगत मौसम के अनुसार आज शाम को निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में एडवाइजरी का इंतजार करें।

मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी, छह गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियार बरामद

मुजफ्फरनगर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में थाना चरथावल पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त छापेमारी में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर छह अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित, अर्ध-निर्मित अवैध असलाह व अवैध असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बदमाशों को पकडऩे की मुहिम चला रखी है। पुलिस टीम ने मंगलवार को छापेमारी के दौरान गिरफ्तार छह आरोपियों के पास से 27 देशी तमंचे (315 बोर), 21 अधबने तमंचे (315 बोर), एक तमंचा (12 बोर), 62 अधबने तमंचे (12 बोर), दो देशी बन्दूक (315 बोर), नौ जिन्दा कारतूस व 37 खोखा कारतूस, दो बाइक और अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है।

यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने बुधवार को दी। आरोपियों की पहचान इकबाल, गोपाल, सुभाष, इरफान, गोपाल सिंह और जयपाल के रूप में हुई है।

शहर पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, चरथावल थाना पुलिस को हथियारों के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में एक सूचना मिली थी। इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए, चरथावल थाना अंतर्गत खुसरोपुर रोड पर बंद पड़े ईंट भट्ठे के अंदर हथियारों के निर्माण और आपूर्ति में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एएसपी ने बताया कि, अभियुक्तों पुछताछ में जुर्म स्वीकार किया है। वेस्थान बदल-बदल कर अवैध हथियारों की आपूर्ति करते थे।

अनियंत्रित कार खाई में पलटी, कार सवार दंपति की दर्दनाक मौत

सुल्तानपुर (आरएनएस)। दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक कार खाई में पलट गई। कार सवार दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही दुर्घटना में मृतक का बेटा व भतीजी घायल हुई है। जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है।

घटना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखंडनगर थानाक्षेत्र के कनकपुर गांव के पास किमी 176 की है। जहां बुधवार दोपहर एक कार यूपी 50 र्ं 7879 लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जा रही थी। एकाएक कार अनियंत्रित होकर एमबीसीईवी को तोड़ते हुए नीचे फेंसिंग और एमबीसीडी के बीच में पलट गई। कार को आजमगढ़ हैरी की चुंगी बलरामपुर पुलिस चौकी के बगल के निवासी अरुण कुमार (62) पुत्र ओम प्रकाश चला रहे थे। उनके बगल में पत्नी संतोष देवी (56) बैठी हुई थी। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई है तथा गाड़ी में बैठी गुडिय़ा उर्फ रुकमणि (21) पुत्री प्रवीण कुमार व नैतिक (18) अरुण कुमार घायल हुए हैं। उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

लोगों ने ही घटना की सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर अखंडनगर थाने की पुलिस व यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है।

टेरर फंडिंग मामला : दिल्ली हाईकोर्ट में अलगाववादी नेता पर लगे आरोपों पर हुई सुनवाई, पीठ ने एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को अलगाववादी नेता नईम अहमद खान पर लगे टेरर फंडिंग केस के आरोपों को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खान ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए कथित टेरर फंडिंग के आरोप और यूएपीए एक्ट को चुनौती दी है। एनआईए ने खान पर कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है और उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की एक विशेष अदालत ने 16 मार्च 2022 को खान के खिलाफ राजद्रोह और यूएपीए सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे अपील में खान के द्वारा चुनौती दी गई है।

यह आरोप लगाया गया है कि सुरक्षाबलों पर पथराव, स्कूलों को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेडक़र कश्मीर घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त करने की एक बड़ी आपराधिक साजिश थी।

खान 14 अगस्त 2017 से हिरासत में हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 के एक आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ खान की अपील पर नोटिस जारी किया है। साथ ही पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 3 अगस्त को सूचीबद्ध की है।

विशेष एनआईए अदालत ने कहा था कि आरोप तय किए जाने के समय सबूतों और कई गवाहों के बयानों की पूरी तरह से जांच की गई थी, और यह पाया गया कि खान की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए उसे जमानत से वंचित किया गया है।

खान की अपील के अनुसार, सबूत 'महत्वपूर्ण विसंगतियों, झूठ और लॉजिकल उछाल से प्रभावित हैं, जिस पर उन्हें यूएपीए के तहत हिरासत में रखा नहीं जा सकता है। अपली में आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता की कथित संबद्धता या यहां तक कि किसी प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन के साथ किसी भी दूरस्थ संबंध से संबंधित किसी भी आरोप को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

हालांकि, खान की जमानत अपील पर आपत्ति जताते हुए एनआईए ने तर्क दिया है जुटाए गए सबूत उनके खिलाफ एक प्रथम ²ष्टया मामला स्थापित करते हैं और वह आतंकवादी और धन संबंधी गतिविधियों में शामिल था।

भारतीय अमेरिकी के आगे झुके एलन, मानहानि केस में देंगे 10,000 डॉलर

नई दिल्ली (आरएनएस)। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क आलोचक और स्वतंत्र शोधकर्ता भारतीय-अमेरिकी सिख रणदीप होथी द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मानहानि मामले में सुलह के लिए 10,000 डॉलर देने पर सहमत हुए हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय में एशियाई भाषाओं और संस्कृतियों में डॉक्टरेट के छात्र होथी ने 2020 में मस्क के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरबपति व्यवसायी ने उन पर टेस्ला कर्मचारियों को सक्रिय रूप से परेशान करने और लगभग मारने का झूठा आरोप लगाया था।

मार्च 2023 में एक लंबी लड़ाई के बाद मस्क ने होथी से मामले को निपटाने के लिए कहा। होथी ने एक बयान में मस्क के सुलह प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा करते हुए कहा, यह मामला प्रसिद्धि या पैसे की मांग के बारे में नहीं था। यह एक अपना पक्ष रखने के बारे में था। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं यह केस अपने काम का बचाव करने, अपना नाम को पाक-साफ करने और एक संदेश देने के लिए किया था ..मुझे विश्वास है कि मैंने इसे पूरा कर लिया है। मस्क को बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले एक साल में उनके व्यवहार ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें अपने हर शब्द और हर काम की समीक्षा करने की जरूरत है।

होथी के वकीलों में से एक डी. गिल स्पेलिन ने कहा, पिछले साल मस्क ने कहा था कि वह 'अन्यायपूर्ण मामले को कभी नहीं सुलझाएंगे'।फिर भी उन्होंने होथी से उसे सुलझाने के लिए कहा है। हम मस्क की विलंबित स्वीकारोक्ति का स्वागत करते हैं कि यह मामला न्यायपूर्ण था। टेस्ला के साथ होथी का आमना-सामना तब हुआ जब उन्होंने ट्वीटर पर एकरेटएसकेएबीओओएसएचकेए के नाम से अकाउंट बनाया और इलेक्ट्रिक वाहन निमार्ता के स्वचालन, प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं के बारे में मस्क और उनकी कंपनी के प्रकाशित दावों के बारे में फैक्ट चेक किए। होथी 2018 की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में टेस्ला के कैलिफोर्निया स्थित कारखाने में उत्पादन प्रक्रिया को देखा था।

अप्रैल 2019 में टेस्ला ने होथी के खिलाफ एक निरोधक आदेश की मांग की। उसने आरोप लगाया कि होथी ने एक कर्मचारी को टेस्ला फैक्ट्री की पार्कि ग में अपनी कार से मारा। होथी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। जब होथी और उनकी कानूनी टीम ने कथित टक्कर का वीडियो सौंपने के लिए टेस्ला के खिलाफ अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया तो टेस्ला ने जुलाई 2019 में अचानक अपना मुकदमा वापस ले लिया।

इसके बाद अगले महीने मस्क ने होथी पर सक्रिय रूप से परेशान करने और टेस्ला के कर्मचारियों को लगभग मारने (आईएनजी) का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्टर को ई-मेल किया। उस टिप्पणी को बाद में प्रकाशित किया गया और ट्विटर पर सैकड़ों हजारों लोगों के लिए प्रसारित किया गया। मस्क के आरोपों के व्हिसलब्लोअर, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और आलोचकों सहित सभी वर्ग से होथी के लिए समर्थन आने लगे। होथी ने अगस्त 2020 में मानहानि का मुकदमा किया। मस्क ने यह तर्क देकर मामले को निपटाने का प्रयास किया कि उनके आरोप संरक्षित भाषण थे और इसलिए कैलिफोर्निया के एंटी-एसएलएपीपी कानून के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए।

जनवरी 2021 में ट्रायल कोर्ट ने मस्क की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालन ने कहा कि होथी ने संभावना दिखाई है कि वह अपने दावे पर सफल हो सकता है क्योंकि मस्क की टिप्पणी अपराधिक आरोप के समान है और इस प्रकार मानहानि की श्रेणी में आता है। होथी ने 30 अप्रैल को मस्क के सुलह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

नेपाल में हिमस्खलन के बाद पांच लोग लापता

काठमांडू। नेपाल के दारचुला जिले में हिमस्खलन के बाद चार महिलाएं और एक पुरुष लापता हो गए हैं। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य जिला अधिकारी किरण जोशी ने बताया कि दोपहर 2.45 बजे हुए हिमस्खलन के बाद शुरू में 12 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में सात लोगों ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया।

जोशी ने कहा, पांच लोग अभी भी लापता हैं। हम अभी भी उनके ठिकाने के बारे में अनजान हैं। रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गई है।

अधिकारी ने कहा कि लगातार बारिश और बर्फबारी से बचाव अभियान में परेशानी आ रही है।

जोशी ने कहा, अगर मौसम में सुधार होता है तो हम बुधवार को बचाव अभियान के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बना रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोग यार्सागुम्बा नामक कैटरपिलर फंगस इकट्ठा कर रहे थे, इस दौरान वह हिमस्खलन की चपेट में आ गए।

बिना फिटनेस और टैक्स के अब टोल से गुजरना पड़ेगा मंहगा : परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमैटिक चालान की व्यवस्था

- राज्य के सभी नेशनल हाईवे में शुरू हुआ ई-डिटेक्शन सिस्टम
- बिना दस्तावेजों के साथ चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही की तैयारी
- हाईवे में चलने वाले वाहनों के सभी दस्तावेज हो अपडेट

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस , टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में हैं। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे में अब ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है , जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के टोल से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप तथा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने सडक़ दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के आँकड़ो को देख कर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे । सडक़ दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फ़िटनेस के चलने वाले हैवी गाडिय़ा है । अनफिट गाडिय़ो से होने वाली सडक़ दुर्घटना कम करने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय राजमार्गों में ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू किए जा रहे है , जो बिना फिटनेस के वाहनों को डिटेक्ट कर ऑटोमैटिक चालानी कार्यवाही करेगा।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एनआईसी उड़ीसा के सहयोग से ई-डिटेक्शन पोर्टल विकसित किया है।

ई-डिटेक्शन पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न टोल नाकों से गुजरने वाले वाहनों का डेटा एकत्र करना है। पहले चरण में एनएच पर टोल गेट्स को ई डिटेक्शन पोर्टल से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी एएनपीआर कैमरे के मदद से डेटा एकत्र किया जाएगा।इस हेतु भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

गाडिय़ों की जानकारी को फास्टैग के माध्यम से प्राप्त किए गए डेटा से एकत्र किया जाएगा और जब कोई वाहन टोल गेट से गुजरेगा तो उसकी तस्वीरें ली जाएंगी। जिस वाहन के पास कानूनी रूप से आवश्यक वैध दस्तावेज नहीं होंगे उसका ई-डिटेक्शन पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से चालान किया जाएगा। चालान एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा और जब तक वाहन स्वामी के द्वारा उस चालान का भुगतान नहीं कर दिया जायेगा तब तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में प्रतिबंधित रहेंगे।

परिवहन सचिव एस प्रकाश द्वारा वाहन मालिकों से अपील की गई है कि सडक़ में वाहन चलाने से पहले गाड़ी के सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज को अप-टू-डेट करा ले। सभी दस्तावेज पूर्ण होना स्वय और सडक़ में चलने वाले अन्य सभी लोगो के सुरक्षा के लिये आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा द्वारा वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे फिटनेस, टैक्स, बीमा और पीयूसी के जुर्माने से बचने के लिए वाहन के दस्तावेज अप-टू-डेट रखें। छत्तीसगढ़ के ई-डिटेक्शन पोर्टल विकसित करने में एनआईसी उड़ीसा के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक प्रशांत कुमार नायक, एनआईसी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्रीनिवास राव और साइंटिस्ट अमित देवांगन का विशेष योगदान रहा।

सडक़ सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति (एससीसीओआरएस) की सिफारिश के बाद सरकार ने ई डिटेक्शन के क्रियान्वयन का नीतिगत निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट समिति के सचिव संजय मित्तल ने कुछ जिलों का दौरा किया था और राज्य में सडक़ हादसों को कम करने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की थी। उन्होंने बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिये थे।